**Fourteenth Loksabha**

**Session : 4**
**Date : 21-03-2005**
**Participants : Ranjan (Pappu Yadav) Shri Rajesh,Chatterjee Shri Somnath**

>

Title: Alleged vilification campaign launched against the said MP by the electronic and print media.

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (मधेपुरा) :** अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलना चाहता हूं। लोकतंत्र का सबसे मजबूत और चौथा स्तम्भ मीडिया कहा जाता है। मीडिया द्वारा लगातार जिस तरह से व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के लोगों को, अपनी लेखनी के द्वारा, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, वह एक गंभीर मामला है। मैं और मेरा पूरा परिवार इससे काफी आहत हुआ है। मैं मधेपुरा कोर्ट में गया था और जब मैं मधेपुर से लौटा तो मीडिया के द्वारा बहुत प्रचार किया गया कि मैं माननीय लालू यादव जी के चुनाव कम्पेन में गया था, जबकि यह बात गलत lÉÉÒ[r19]।

मैं कोर्ट गया था, कोर्ट से लिखित में आ चुका है। इससे हमारी व्यक्तिगत छवि और आचरण पर उंगली उठी है। बिहार सरकार की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मिल गई है। उन्होंने कह दिया है कि पप्पू यादव का कहीं किसी चीज में कनाइवैंस नहीं हैं। ऐसे में मीडिया ने किस तरीके से प्र ाचार किया? खास तौर पर " दैनिक जागरण" अखबार ने मेरे आचरण को लेकर लगातार प्रचार किया कि मैं टीवी देखता हूं, लालू प्रसाद के हार जाने के बाद खुश हूं, बजट पेश होने के बाद दुखी हूं जबकि इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। कोई ऐसा मामला नहीं है जिस में उन्होंने मेरे खिलाफ गलत प्रचार न किया हो। मीडिया और दूसरे कई ऐसे तत्व हैं, जिन्होंने मेरे खिलाफ दुप्रचार किया। मैं यह नहीं कहता कि सभी लोग दुप्र ाचार करते हैं। मीडिया में 2-3-5 परसैंट अच्छे लोग भी हैं जिन के चलते देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। सारे मीडिया के लोग दूध के धुले नहीं हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग और दूसरे लोग गलत हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से यह आग्रह करना चाहता हूं कि मेरा पूरा परिवार इससे मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ है। क्या हमारे यहां कोई ऐसी व्यवस्था होगी जो मीडिया पर अंकुश लगा सके कि वे कब क्या बोलेंगे? कल हम देख रहे थे कि मीडिया का रोल किस तरह का था? लालू जी के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मीडिया का जो रोल रहा …(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Media also has its rights. Its freedom is there in the Constitution. You are affected by that.

… (*Interruptions*)

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :** अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुखी हूं। आप हमारे संरक्षक हैं,

MR. SPEAKER: That is why, I have allowed you to express your anguish.

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :** आप हमारे गार्जियन हैं।

**अध्यक्ष महोदयः** क्या गार्जियन की कोई सुनता है?

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :** मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि एज-ए-स्पीकर, एज- ए-मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट आप हमारे संरक्षक हैं और वैसे भी मेरे गार्जियन हैं। मेरा आग्रह है कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि किसी के व्यक्तिगत जीवन पर राजनीतिक और सामाजिक रूप से कोई हाथ होता है, उसे देखने की किसी को जिम्मेदारी दी जाए। आप इसे जरूर देखें। हरेक व्यक्ति का किसी न किसी चीज में हाथ होता है और हर कोई इसके शिकंजे में आते हैं। मैं केवल इसकी लपेट में नहीं आया हूं। इस चीज पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। आपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाए हैं। इसके लिए केवल नए सांसद ही धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, मैं चार बार संसद का सदस्य रहा हूं

और पांच बार विधायक रह चुका हूं। आप इसमें दखल देकर इसे मजबूत कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. SPEAKER: Shri Girdhari Lal Bhargava. I want to impress upon hon. Members that patience and cooperation pays.

… (*Interruptions*)